अनुदान संख्या 28 - पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
GRANT No. 28 - MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	3170,00,00				
				3170,05,00	2765,33,02	-404,71,98
पूरक	Supplementary	5,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					344,25,00
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	115,00,00				
				115,03,00	72,41,98	-42,61,02
पूरक	Supplementary	3,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					39,86,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व खंड में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए :–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “2406”	Major Head “2406”				
वन तथा वन्य जीव	Forestry and Wild Life				
मू.	O.	84900.00			
पू.	S.	2.00	96453.76	95154.71	-1299.05
पु.	R.	11551.76			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	19300.00			
पू.	S.	1.00	735.01	..	-735.01
पु.	R.	-18565.99			
मुख्य शीर्ष "3435"	Major Head "3435"				
पारि तंत्र तथा पर्यावरण	Ecology and Environment				
मू.	O.	121575.00			
पू.	S.	1.00	111694.92	109428.05	-2266.87
पु.	R.	-9881.08			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	74206.00			
पू.	S.	1.00	54790.81	54548.59	-242.22
पु.	R.	-19416.19			

(I) ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत ₹19566.00 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2022 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹19101.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अधीन लेखाबद्ध थे :–

(I) Provision of ₹19566.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2022) remained wholly unutilized under eleven heads; of these ₹19101.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(का) "वन्यकरण और पारिस्थिकी विकास – राष्ट्रीय वन्यकरण और पारिस्थिकी विकास कार्यक्रम – राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन" – ₹3700.00 लाख;

(A) "Afforestation and Ecology Development - National Afforestation and Ecology Development Programme- National Mission for a Green India" - ₹3700.00 lakhs;

(खा) "पर्यावरणीय वन्यकरण और वन्य जीव – वन्य जीव परिरक्षण – वन्य जीव पर्यावास का एकीकृत विकास" – ₹5900.00 लाख।

(B) "Environmental Forestry and Wild Life - Wild Life Preservation - Integrated Development of Wild Life Habitats" - ₹5900.00 lakhs;

(गा) "पर्यावरणीय अनुसंधान और पारिस्थिकी पुनर्सृजन – संरक्षण कार्यक्रम – प्राकृतिक संसाधनों और पारि प्रणाली का संरक्षण" – ₹800.00 लाख;

(C) "Environmental Research and Ecological Regeneration - Conservation Programmes - Conservation of Natural Resources and Ecosystems" - ₹800.00 lakhs;

(घा) "वन्यकरण – शिक्षा और प्रशिक्षण – पर्यावरण संबंधी ज्ञान और क्षमता निर्माण" – ₹2500.00 लाख;

(D) "Forestry - Education and Training- Environmental Knowledge and Capacity Building" - ₹2500.00 lakhs;

(डा) "पर्यावरण संबंधी अध्ययन और पारि प्रणाली पुनर्सृजन – जलवायु परिवर्तन कार्य योजना – पर्यावरण संरक्षण, प्रबंधन और सतत् विकास" – ₹1500.00 लाख, और

(E) "Environmental Research and Ecological Regeneration - Climate Change Action Programme - Environment Protection, Management and Sustainable Development" - ₹1500.00 lakhs; and

(चा) "प्रदूषण निवारण और नियंत्रण – वायु और जल प्रदूषण निवारण – प्रदूषण नियंत्रण" – ₹4701.00 लाख; (₹1.00 लाख के सांकेतिक पुरक अनुदान सहित)।

(F) "Prevention and Control of Pollution - Prevention of air and water Pollution - Control of Pollution" - ₹4701.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh).

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्ष को आंशिक निधियों/निधियों के पुनर्विनियोग और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहे।

Provisions under the above six heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "2406" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(II) Under Major Head "2406" - savings occurred under the following heads:-

(का) "वन्यकरण – निदेशन और प्रशासन – संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय" – ₹923.17 लाख की बचत (₹18930.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कम टूर करने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौतियां करने के कारण हुई।

(A) "Forestry - Direction and Administration - Attached/Subordinate Offices" - saving of ₹923.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18930.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) "पर्यावरण वन्यकरण और वन्य जीव – वन्य जीव संरक्षण – वन्य जीवों के पर्यावासों का एकीकृत विकास" – ₹1046.09 लाख की बचत (₹4090.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दौरे करने, कम बैठकें/कार्यशालायें/सम्मेलन करने, और मितव्ययी उपाय के चलते वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में

(B) "Environmental Forestry and Wild Life - Wild Life Preservation - Integrated Development of Wildlife Habitats" - saving of ₹1046.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4090.00 lakhs) was due to less tour undertaken, conduction of less meetings/workshops/conference, reduction of

कटौती करने और विदेशों द्वारा वित्त पोषित 'सुरक्षित हिमालय परियोजना' के अंतर्गत प्राप्त सेवाओं के लिए संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम द्वारा कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(गा) "वन्यकरण और पारिस्थिकी विकास" –

(क) "राष्ट्रीय वन्यकरण और पारिस्थितिकी विकास – राष्ट्रीय हरित भारत मिशन" – ₹850.25 लाख की बचत (₹2973.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इंडियन काउंसिल आफ फारेस्ट्री एंड रिसर्च एजुकेशन फार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा वार्षिक संचालन योजना की लागत में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) "राष्ट्रीय प्रतिपूरक वन्यकरण (एनसीए) – राष्ट्रीय प्राधिकरण" – ₹935.53 लाख की बचत (₹25000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती करने, रिक्त पदों को नहीं भरे जाने और प्रचार–प्रसार के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "3435" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(का) "सर्वेक्षण (वनस्पति विज्ञान) – निदेशन और प्रशासन – संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय" – ₹1839.75 लाख की बचत (₹21775.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)) बिलों के प्राप्त नहीं होने से एनजीटी की प्रधान न्यायपीठ फरीदकोट हाउस में बनाने, रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, जानकी वार्षिक पुरस्कार नहीं देने, कम विदेशी दौरे करने के कारण कम निधियों की आवश्यकता होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती करने के कारण हुई।

provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to economy measures and less requirement by United Nations Development Programme for service availed under externally aided SECURE HIMALAYA Project.

(C) "Afforestation and Ecology Development" -

(a) "National Afforestation and Ecology Development Programme - National Mission for a Green India" - saving of ₹850.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2973.00 lakhs) was due to reduction of cost of Annual Plan of Operation by Indian Council of Forestry & Research Education for Centre of Excellence.

(b) "National Compensatory Afforestation (NCA) - National Authority" - saving of ₹935.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance, non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards publicity and rent.

(III) Under Major Head "3435" - savings occurred under the following heads -

(A) "Survey (Botanical) - Direction and Administration - Attached/Subordinate Offices" - saving of ₹1839.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21775.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards rent for housing NGT-Principal Bench at Faridkot House owing to non-receipt of bills, non-filling up of vacant posts, non-conduction of Janki Ammal Award, less foreign tours undertaken and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) "पर्यावरणीय अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनर्सृजन" –

(क) "संरक्षण कार्यक्रम – प्राकृतिक संसाधनों और पारि तंत्र का संरक्षण" – ₹719.94 लाख की बचत (₹1205.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एकीकृत प्रबंधन योजना के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने में विलंब होने से व्यवहार्य प्रस्ताव देरी से मिलने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) "पर्यावरणीय आयोजना और समंवयन –पर्यावरण के लिए जागरूकता, नीति, आयोजना और निष्कर्ष मूल्यांकन के लिए निर्णय समर्थकारी प्रणाली" – ₹3143.66 लाख की बचत (₹6195.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आमूल चूल परिवर्तित पर्यावरण शिक्षा जागरूकता अनुसंधान और विकास अनुसूची योजना के नए दिशा निर्देशों को अंतिम रूप देने में देरी के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ग) "जलवायु परिवर्तन कार्य योजना – पर्यावरण संरक्षण, प्रबंधन और सतत विकास" – ₹2335.32 लाख की बचत (₹9950.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने, नियमों के तहत औपचारिकतायें/शर्तें पूरी नहीं किए जाने के चलते कार्यान्वयनकर्ता अभिकरणों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने, राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन मिशन योजना को व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा देरी से अनुमोदन देने और व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(घ) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना"–

(B) "Environmental Research and Ecological Regeneration" -

(a) "Conservation Programmes - Conservation of Natural Resources and Ecosystems" - saving of ₹719.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1205.00 lakhs) was due to late receipt of viable proposals owing to delay in finalisation of guidelines for the Integrated Management Plan and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "Environmental Planning and Coordination - Decision Support System for Environmental Awareness, Policy, Planning and Outcome Evaluation" - saving of ₹3143.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6195.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to late finalisation of new guidelines for revamped Environment Education Awareness, Research and Schedule Development Scheme.

(c) "Climate Change Action Programme - Environment Protection, Management and Sustainable Development" - saving of ₹2335.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9950.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance, non-utilisation of funds by implementing agencies owing to non-fulfilment of the formalities/ provisions under the rules, late approval of Expenditure Finance Committee (EFC) for National Mission on Himalayan Studies schemes and non-receipt of viable proposals.

(d) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "पर्यावरणीय जागरूकता, नीति, आयोजना और निष्कर्ष मूल्यांकन के लिए निर्णय समर्थकारी प्रणाली" – ₹1135.19 लाख की बचत (₹1200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने और दिशा निर्देशों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हरित कौशल विकास कार्यक्रम के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(ii) "पर्यावरण संरक्षण, प्रबंधन और सतत विकास" ₹677.47 लाख की बचत (₹1200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ड) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना" –

(i) "पर्यावरण संरक्षण, प्रबंधन और सतत विकास" – ₹1290.00 लाख की बचत (₹1600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में क्टौती किए जाने और राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन मिशन योजना को अनुमोदन मिलने में देरी के कारण नई परियोजनायें शुरु नहीं होने के कारण हुईं।

(ii) "पर्यावरण के लिए जागरूकता, नीति, आयोजना और निष्कर्ष मूल्यांकन के लिए निर्णय समर्थकारी प्रणाली" – ₹1073.53 लाख की बचत (₹1100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने और दिशा निर्देशों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने से हरित कौशल विकास कार्यक्रम पाठ्यक्रमों के लिए कम

(i) "Decision Support System for Environmental Awareness, Policy, Planning and Outcome Evaluation" - saving of ₹1135.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1200.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and requirements of less funds towards Green Skill Development Programme courses owing to non-finalisation of guidelines.

(ii) "Environment Protection, Management and Sustainable Development" - saving of ₹677.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1200.00 lakhs); and

(e) "Tribal Area Sub-Plan" -

(i) "Environment Protection, Management and Sustainable Development" - saving of ₹1290.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1600.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and non-initiation of new projects owing to late approval of the National Mission on Himalayan Studies Scheme.

(ii) "Decision Support System for Environmental Awareness, Policy, Planning and Outcome Evaluation" - saving of ₹1073.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1100.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and requirement of less funds towards

निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

Green Skill Development Programme courses owing to non-finalisation of guidelines.

(गा) "प्रदूषण निवारण और नियंत्रण" –

(क) "वायु और जल प्रदूषण निवारण – सांविधिक और विनियामक निकाय" – ₹740.00 लाख की बचत (₹11700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने, रिक्त पदों को नहीं भरे जाने और वायु प्रदूषण नियंत्रण संबंधी अनुसंधान परियोजनाओं के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(ख) "प्रभाव आकलन – राष्ट्रीय समुद्र तटीय प्रबंधन कार्यक्रम" – ₹17721.87 लाख की बचत (₹19360.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंत्रिमंडल से अनुमोदन मिलने में देरी, ऋण संबंधी बातचीन और विश्व बैंक से ऋण अनुमोदित होने में देरी के चलते वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(C) "Prevention and Control of Pollution" -

(a) "Prevention of air and water pollution-Statutory and Regulatory Bodies" - saving of ₹740.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11700.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance, non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards Research Projects on Control of Air Pollution.

(b) "Impact Assessment - National Coastal Management Programme" - saving of ₹17721.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19360.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to delay in approval of the cabinet, loan negotiation and delay in approval of World Bank Loan.

(IV) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय प्रायोजित योजनायें" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :–

(IV) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(का) "केंद्रीय सहायता / हिस्सा" –

(क) "राष्ट्रीय हरित भारत मिशन" – ₹9479.70 लाख की बचत (₹22336.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने और उपयोग प्रामणपत्र और प्रगति रिपोर्ट मिलने में देरी के कारण हुई।

(ख) "वन्य जीव पर्यावास का एकीकृत विकास" – ₹12190.62 लाख की बचत (₹27135.00 लाख के

(A) "Central Assistance/Share" -

(a) "National Mission for a Green India" - saving of ₹9479.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22336.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and delay in receipt of utilisation certificates and progress report.

(b) "Integrated Development of Wildlife Habitats" - saving of ₹12190.62 lakhs

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने और व्यवहार्य प्रस्तावों के मिलने में देरी के कारण हुई।

(against the sanctioned provision of ₹27135.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and delay in receipt of viable proposals.

(ग) "प्राकृतिक संसाधनों और पारि प्रणाली का संरक्षण" – ₹1413.76 लाख की बचत (₹2335.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने एकीकृत प्रबंधन योजना के दिशा निर्देश जारी करने में देरी होने और कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(c) "Conservation of Natural Resources and Ecosystems" - saving of ₹1413.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2335.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance, delay in issue of guidelines for Integrated Management Plan and receipt of less proposals.

(खा) "केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें – वन्य जीव पर्यावास का एकीकृत विकास" – ₹1586.00 लाख की बचत (₹1750.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) के तहत व्यवहार्य प्रस्ताव नहीं मिलने के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(B) "Externally Aided Projects-Grants for Centrally Sponsored Schemes - Integrated Development of Wildlife Habitats" - saving of ₹1586.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1750.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to non-receipt of viable proposals under the Global Environment Facility (GEF).

(गा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना"–

(C) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(क) "राष्ट्रीय हरित भारत मिशन" – ₹1790.22 लाख की बचत (₹3300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों द्वारा प्रगति रिपोर्ट और उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में देरी किए जाने के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(a) "National Mission for a Green India" - saving of ₹1790.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3300.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to delay in submission of progress report and utilisation certificate by State Governments.

(ख) "वन्य जीव पर्यावास का एकीकृत विकास" – ₹3140.67 लाख की बचत (₹5600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(b) "Integrated Development of Wildlife Habitats" - saving of ₹3140.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5600.00 lakhs); and

(घा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(D) "Tribal Area Sub-Plan" -

(क) "वन्यजीव पर्यावास का एकीकृत विकास" – ₹2395.42 लाख की बचत (₹6500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(a) "Integrated Development of Wildlife Habitats" - saving of ₹2395.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6500.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने, व्यवहार्य प्रस्तावों के मिलने में देरी और एकल नोडीय अभिकरण के माध्यम से निधियां जारी करने के लिए संशोधित प्रक्रिया के कार्यान्वयन में देरी के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance, delay in receipt of viable proposals and delay in implementation of revised procedure for release of funds through Single Nodal Agency.

(ख) "राष्ट्रीय हरित भारत मिशन" – ₹1685.48 लाख की बचत (₹3800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने और उपयोग प्रमाणपत्र और प्रगति रिपोर्ट मिलने में देरी के कारण हुई।

(b) "National Mission for a Green India" - saving of ₹1685.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3800.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and delay in receipt of utilization certificates and progress report.

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹725.54 लाख की बचत हुई जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक थी और स्वीकृत प्रावधान का 47 प्रतिशत और 64 प्रतिशत थीं।

(V) Under two heads savings of ₹725.54 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 47 percent and 64 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढाने के लिए आंशिक रूप से (₹44479.00 लाख) उपयोग कर ली गईं जैसा कि निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत दिसंबर, 2022 और मार्च, 2023 में ₹5.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :–

2.(I) The above savings were partly (₹44479.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹5.00 lakhs in December, 2022 and March, 2023 under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2406" –

(A) Major Head "2406" -

(क) "वन्यकरण – अनुसंधान – स्वायत्त शासी निकायों को सहायता" – ₹6977.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹6888.47 लाख हुआ।

(a) "Forestry - Research- Assistance to Autonomous Bodies" - ₹6977.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹6888.47 lakhs.

(ख) "वन्यकरण और पारिस्थितिकी विकास – आरक्षी निधियों/जमा लेखाओं – सावरेन हरित निधि में अंतरण" – ₹3950.00 लाख।

(b) "Afforestation and Ecology Development - Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts-Sovereign Green Fund"- ₹3950.00 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "3435" – "प्रदूषण निवारण और नियंत्रण" के अंतर्गत –

(क) "वायु और जल प्रदूषण निवारण – प्रदूषण नियंत्रण" – ₹15703.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹15690.75 लाख था।

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – प्रदूषण नियंत्रण" – ₹2000.00 लाख।

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – प्रदूषण नियंत्रण"– ₹1000.00 लाख।

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय प्रायोजित योजनायें – आरक्षी निधियों/जमा लेखाओं–सावरेन हरित निधि में अंतरण" – ₹14849.00 लाख।

(II) बचतें भी मुख्य शीर्ष "2406" – "वन्यकरण – शिक्षा और प्रशिक्षण–पर्यावरण ज्ञान और क्षमता निर्माण" – ईको कार्यबल के बकाया बिलों को निपटाने के लिए अधिक निधियों की आवश्यकता और उत्तर–पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं के उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को निधियों के पुनर्विनियोग के कारण ₹3281.02 लाख के अधिक व्यय (₹3562.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं।

3. अनुदान के पूंजीगत खंड में बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(B) Major Head "3435" - "Prevention and Control of Pollution" -

(a) "Prevention of air and water pollution - Control of Pollution" - ₹15703.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹15690.75 lakhs.

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Control of Pollution" - ₹2000.00 lakhs.

(c) "Tribal Area Sub-Plan - Control of Pollution" - ₹1000.00 lakhs.

(C) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" - Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts-Sovereign Green Fund" - ₹14849.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2406" - "Forestery-Education and Training-Environmental Knowledge and Capacity Building" - excess of ₹3281.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3562.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards clearance of outstanding bills of Eco-Task Force Battalions and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4406" वन तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4406" Capital Outlay on Forestry and Wild Life				
मू.	O.	3200.00			
पू.	S.	1.00	2600.00	2599.63	-0.37
पु.	R.	-601.00			
मुख्य शीर्ष "5425" अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5425" Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research				
मू.	O.	8300.00			
पू.	S.	2.00	4917.00	4642.35	-274.65
पु.	R.	-3385.00			

(I) मुख्य शीर्ष "4406" – "वन – संचार और भवन – संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय" के अंतर्गत – ₹601.37 लाख की बचत (दिसंबर, 2022 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹3201.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(I) Under Major Head "4406" - "Forestry - Communication and Buildings-Attached/ Subordinate Offices" - saving of ₹601.37 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3201.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2022) was due to slow progress of various construction works and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(II) मुख्य शीर्ष "5425" – "पारिस्थितिकी और पर्यावरण – संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय" – ₹3659.65 लाख की बचत (दिसंबर, 2022 और मार्च, 2023 में प्राप्त ₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹8302.00 लाख रुपए के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने और निविदा प्रदान किए जाने को अंतिम रूप नहीं दिए जाने से हुई।

(II) Under Major Head "5425" - "Ecology and Environment-Attached/Subordinate Offices" - saving of ₹3659.65 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹8302.00 lakhs including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs obtained in December, 2022 and March, 2023) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and delay in finalisation of award of tender.